Q. कैबिनेट मिशन योजना क्या है?

Q. कैबिनेट मिशन योजना के प्रति कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण अलग-अलग क्यों था?

Ans:- अवश्यम्भावी जानते हुए लन्दन की ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1946 को मंत्रिमण्डल के तीन सदस्यों पेथिक लारेंस तेबर सरकार में भारत सचिव सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए० वी० एलेक्जेन्डर को राजनीतिक संकट का समाधान खोजने के लिए भेजा। मौलिक तौर पर कैबिनेट मिशन की योजना भारत के सभी ब्रिटानी प्रान्तों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखण्ड भारत को भारत संघ के रूप में स्वतंत्र करने की थी। इस मिशन ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार-विमर्श किया लेकिन अन्तरिम सरकार के गठन तथा संविधान के निर्माण हेतु एक तंत्र के गठन पर कोई सर्व सहमति न बन सकी। लेकिन कैबिनेट मिशन इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि पाकिस्तान का सृजन भी साम्प्रदायिक समस्या का निदान नहीं करेगा।

शिमला में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ कैबिनेट मिशन का त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस तथा लीग के तीन-तीन सदस्यों को नामांकित किया गया।

कैबिनेट मिशन द्वारा सम्मेलन में सर्वसम्मत समाधान न निकलने के बावजूद कुछ प्रमुख सिफारिशें की गई →

(1) भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल हों। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केन्द्रीय सरकार के अधीन होंगे।

(2) संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी।

(3) संविधान निर्माता सभा का गठन विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा तथा सामान्यतः दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की गई।

(4) प्रांतों को तीन श्रेणियों क, ख और ग में बाँटा गया।

(5) मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि इससे साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को मुस्लिम लीग ने इसीलिए ठुकरा दिया कि इसमें पाकिस्तान की चर्चा नहीं की गई थी अपितु इसके अंतर्गत प्रांतों का विभाजन कर लीग को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया।